बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना - 800001

सं०-1/दि0स0नि0(बजट)-02/2025 स.क.- पटना, दिनांक-

आवंटनादेश

प्रेषक,

भुवन कुमार,
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' (सामान्य घटक) में प्राप्त आवंटन से राज्यस्तरीय दिव्यांगजन महोत्सव, 2026 के आयोजन हेतु कुल रू० 17,50,000/- (सतरह लाख पचास हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-3/यो०स०क०-20/2022-55 दिनांक-24.04.2025 एवं 124 दिनांक-24.12.2025 (संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक में रू० 45,06,30,000/- एवं द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि रू० 15,77,43,000/- अर्थात कुल रू० 60,83,73,000/- (साठ करोड़ तेरासी लाख तिहत्तर हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त स्वीकृत राशि के अंतर्गत रू० 17,50,000/- (सतरह लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है ।

2. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व के आवंटनादेश के अतिरिक्त है ।

3. भारित राशि की निकासी मांग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0119-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विषय शीर्ष-0119.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड 51-2235021010119 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक-28.03.2025, 235/वि० दिनांक-01.04.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा ।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे ।

6. आवंटित राशि की निकासी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना से हस्ताक्षरित Pre Receipt Voucher के आधार पर की जायेगी ।

7. इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

https://state.bihar.gov.in/socialwelfare 0612-2200125 dirempd-bih@gov.in
Facebook.com/diremppd

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार से राशि की निकासी कर मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' के सामान्य घटक हेतु Axis Bank में खोले गये Parent Account खाता सं०-923010072106524 IFSC Code-UTIB0000387 में राशि अंतरित की जायेगी।

9. उक्त राशि का उपयोग / व्यय दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय दिव्यांगजन महोत्सव, 2026 के आयोजन पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

10. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है ।

11. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा महालेखाकार कार्यालय को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-271 के अनुसार BTC Form 42A में भेजा जायगा ।

12. यह चालू योजना है । अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रस्ताव पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह०/-
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:-01/दि0स0नि0(ब्रजट)-02/2025 स.क.- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
उप निदेशक

ज्ञापांक:-01/दि0स0नि0(बजट)-02/2025 स.क.- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
उप निदेशक

ज्ञापांक:-01/दि0स0नि0(बजट)-02/2025 स.क.- 24 पटना, दिनांक:- 16·02·2026

प्रतिलिपि:-वित विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित (आवंटनादेश को समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय) ।

16·2·26
उप निदेशक